UPMO010027242020

न्यायालय खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/जिला न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी– सै0 माऊज़ बिन आसिम, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code No. UP-1895

नियमित सिविल अपील संख्या–40/2020

महेश कुमार पुत्र पुत्तू लाल, निवासी मौहल्ला बख्तावर लाल, तहसील व थाना बिलासपुर, जिला पीलीभीत।

................अपीलार्थी।

बनाम

1. उ0प्र0 सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) डी0जी0सी0, मुरादाबाद।
2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला पीलीभीत।
3. अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला पीलीभीत।

............प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

1. अपीलार्थी/खाद्य कारोबारकर्ता ने प्रश्नगत सिविल अपील खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (जिसे आगे की धाराओं में अधिनियम के नाम से सम्बोधित किया गया है) की धारा–70 के अन्तर्गत न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0), पीलीभीत द्वारा वाद संख्या–609/2017, सरकार बनाम महेश कुमार में पारित प्रश्नगत निर्णय और आदेश दिनांकित 20.02.2020 के विरूद्ध योजित की है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि– खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जनपद पीलीभीत ने अभिहित अधिकारी, जनपद पीलीभीत से नियमानुसार अधिनियम की धारा–36(ई) में अनुमति प्राप्त कर न्याय निर्णायक अधिकारी, पीलीभीत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि, उसने संयुक्त टीम (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, एफ0एस0ओ0 व श्री विजय कुमार वर्मा अभिहित अधिकारी) के साथ

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.07.09 16:48:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिनांक 04.03.2017 को समय 02:00 पी0एम0 बजे दिन में बारह पत्थर चौराहा बीसलपुर, जनपद पीलीभीत में स्थित महेश किराना स्टोर पर मौजूद उपरोक्त विक्रेता श्री महेश कुमार का निरीक्षण अपने पद व नाम का परिचय देने के उपरान्त किया। मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन दिखाया गया। दौरान निरीक्षण प्रतिष्ठान पर एक बोरी में लगभग 25 किलो बेसन वास्ते मानव उपभोग व बिक्री हेतु भण्डारित / प्रदर्शित पाया। भण्डारित बेसन में मिलावट का सन्देह होने पर विक्रेता द्वारा मांगी गयी कीमत 180 / –रूपये नगद भुगतान करके 02 किलोग्राम बेसन वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा गया था, कीमत रसीद तैयार की गयी, उस पर विक्रेता ने प्राप्ति के हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, अतः नियमानुसार श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीलीभीत व अब्दुल नदीम खाँ, खाद्य सहायक की गवाही कराई गयी। नोटिस प्रपत्र–5क दो प्रतियों में तैयार कर एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को दी गयी तथा उससे प्राप्ति के हस्ताक्षर करने को कहा, परन्तु उसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। खरीदे गये बेसन को चार खाली, साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर भरकर उन पर लेवल लगाकर बांसी पेपर में लपेटकर नियमानुसार कोड स्लिप संख्या–पीबीटी / डीओ / 264 / 2016–17 को ऊपर से नीचे चिपकाकर मोटे धागे से क्रॉस की शक्ल में बांधकर सील मोहर किया तथा विक्रेता से नमूने के सभी भागों पर हस्ताक्षर करने को कहा गया, परन्तु उसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तथा विक्रेता को मौके पर एक्रीडेटिङ प्रयोगशाला से जांच कराने की प्रक्रिया बतायी, तो उसने ऐसी जॉच कराने से मना कर दिया। सभी कार्यवाही नियमानुसार कर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता को पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा गया, परन्तु उसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, अतः नियमानुसार श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अब्दुल नदीम खाँ, खाद्य सहायक की गवाही करायी गयी। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित जनता के लोगों की उपस्थिति में की गयी तथा मौके पर उपस्थित जनता के लोगों को गवाही के लिए बुलाया गया, किन्तु सभी ने गवाही देने व नाम पता बताने से मना कर दिया। नमूने के एक भाग को फार्म–6 की एक

प्रति के साथ खाद्य विश्लेषक, वाराणसी को रजिस्ट्री रसीद संख्या–एसीयू 20663125 दिनांक 06.03.2017, के द्वारा जांच हेतु भेजा गया था तथा फार्म–6 की एक प्रति अलग से खाद्य विश्लेषक, वाराणसी को रजिस्ट्री रसीद संख्या–एआरयू 57307302 दिनांक 06.03.2017 के द्वारा भेजी गयी थी। विक्रेता द्वारा चौथे भाग की एक्रीडेटिड लैब से जांच कराने से इन्कार करने पर नमूने के शेष तीनों भागों को अभिहित अधिकारी, पीलीभीत के कार्यालय में दिनांक 06.03.2017 को जमा किया गया। खाद्य विश्लेषक, उ0प्र0 वाराणसी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट संख्या–वी0ए0–643, दिनांकित 01.04.2017 के अनुसार उपरोक्त नमूने को अधोमानक पाया गया तथा विश्लेषक द्वारा नमूने के संबंध में इस आशय की राय दी गयी है कि, "Pea starches are present in the sample. Hence the sample is substandard." इस प्रकार खाद्य कारोबारकर्ता ने अधोमानक बेसन की बिक्री कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–26(2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो इसी अधिनियम की धारा–51 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आधारों पर खाद्य कारोबारकर्ता को दण्डित करने की याचना की गयी।

3. न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए खाद्य कारोबारकर्ता को इस आशय का कारण बताओ नोटिस दिनांकित 25.09.2017 जारी किया गया कि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जनपद पीलीभीत द्वारा आपसे संकलित नमूना संख्या–पीबीटी/डीओ/264/2016–17, दिनांक 04.03.2017, किस्म बेसन जांच रिपोर्ट संख्या–वी0ए0–643, दिनांक 01.04.2017 के आधार पर आपके विरूद्ध उपरोक्त अधिनियम की धारा–26/51 के अन्तर्गत वाद संस्थित हुआ है। आप स्वयं अथवा आपके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से नियत दिनांक 27.10.2017 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में खाद्य कारोबारकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था कि, प्रतिवादी सम्बन्धित प्रकरण में प्रश्नगत वस्तु ''बेसन'' का मात्र विक्रेता है, प्रतिवादी लिये गये नमूने खाद्य सामग्री ''बेसन'' का विपणनकर्ता नहीं है, प्रतिवादी ने उपरोक्त खाद्य सामग्री ''बेसन'' का 35 किलो का बैग

सील बन्द रामकुमार एण्ड सन्स, 286, श्यामगंज, जिला बरेली से दिनांक 01.03.2017 को क्रय किया था, जिसकी बिक्री प्रतिवादी द्वारा की जा रही थी, प्रतिवादी उपरोक्त खाद्य सामग्री के मानक आदि के लिए जिम्मेदार नहीं है, सम्बन्धित खाद्य सामग्री के मानक निर्माण के लिए विपणनकर्ता रामकुमार एण्ड सन्स जिम्मेदार है, प्रतिवादी द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक के किसी भी विनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है, प्रतिवादी सम्बन्धित प्रकरण में किसी भी उल्लंघन का उत्तरदायी नहीं है, प्रतिवादी ने सम्बन्धित खाद्य सामग्री के विनियम मानक के लोगो को देखकर क्रय किया था, प्रतिवादी द्वारा खाद्य सुरक्षा के मानक को देखकर ही बिक्री की गयी है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी के विरूद्ध प्रचलित कार्यवाही निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. प्रश्नगत निर्णय के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि, न्याय निर्णायक अधिकारी ने पक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने के उपरान्त प्रश्नगत आदेश दिनांकित 20.02.2020 के माध्यम से अपीलार्थी महेश कुमार पर उक्त अधिनियम की धारा–51 के अन्तर्गत अंकन 1,00,000/–रूपये की शास्ति अधिरोपित की है और शास्ति अदा न करने पर, शास्ति की धनराशि की वसूलयाबी की कार्यवाही भू–राजस्व की भांति अमल में लाये जाने हेतु निर्देशित किया है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की है।

6. <u>संक्षेप में अपील के आधार इस प्रकार हैं कि</u>– विचारण न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत है, इसलिए खण्डित होने योग्य है, विचारण न्यायालय का आदेश न्याय की दृष्टि में कोई आदेश नहीं है, अपीलान्ट ने बरेली से मान्यता प्रप्त प्रतिष्ठान रामकुमार एण्ड सन्स से बेसन की बोरियां खरीदी थीं तथा उनको ही विक्रय कर रहा था तथा सील बन्द बोरी से ही विक्रय कर रहा था, सम्बन्धित खाद्य सामग्री के लिये विक्रयकर्ता रामकुमार एण्ड सन्स जिम्मेदार है, बेसन में मटरे का आटा मिलना बताया है, उसके आधार पर इतना अधिक जुर्माना विधि विरूद्ध है, जबकि अपीलान्ट द्वारा कोई मिश्रण नहीं किया गया है, खाद्य सुरक्षा मानक नियम–2.4.1.1 का अनुपालन नहीं किया था, जाँच के दौरान किस विधि को अपनाया गया है, उल्लेख नहीं इस काण रिपोर्ट निरस्त

होने योग्य है, विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांकित 20.02.2020 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

7. <u>दौरान बहस अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता</u> द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि, अपीलार्थी को उपरोक्त अपील के गुण–दोष पर कुछ नहीं कहना है, बल्कि वह उक्त अधिनियम की धारा–49 के प्रकाश में अपील का निस्तारण कराना चाहता है। उपरोक्त अपील को धारा–49 के प्रकाश में कम से कम जुर्माने पर निस्तारित करने की कृपा करें, जिस बाबत अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र–15ग भी प्रस्तुत किया है।

8. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) ने दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया कि, यह बात सही है कि, विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश अधिनियम की धारा–49 की परिधि में पारित नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा दया प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना इस तथ्य की ओर इशारा इंगित करता है कि, वह अपने अपराध को स्वयं स्वीकार कर रहा है। उक्त आधारों पर अपील को निस्तारित किये जाने की याचना की गयी।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) को विस्तार से सुना तथा पत्रावली व अन्य सुसंगत प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

10. अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत मामले में विनिश्चायक बिन्दु यह उभरकर आता है कि, क्या विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–51 के अन्तर्गत अधिरोपित शास्ति विधि–सम्मत है अथवा नहीं?

11. प्रश्नगत आदेश में अधिरोपित शास्ति के सम्बन्ध में गुण–दोष पर विवेचना किये जाने से पूर्व प्रश्नगत अपील से सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं का उल्लेख किया जाना उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होता है।

12. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–3(1)(zx) के अनुसार– ''<u>अवमानक</u>'' से कोई खाद्य पदार्थ तब अवमानक समझा जाएगा, यदि वह विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता है, किन्तु उससे खाद्य

पदार्थ असुरक्षित नहीं होता है।''

13. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–26 के अनुसार– <u>खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्व</u>– (1) प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि, खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों की अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार के भीतर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों पर पूरा करती है।

(2) कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता ऐसी किसी खाद्य वस्तु का–

(i) जो असुरक्षित है; या

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक हैं या उसमें बाह्य पदार्थ मिले हैं;

(iii) जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार के सिवाय, या

(iv) जो तत्समय खाद्य प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य के हित में प्रतिषिद्ध है, या

(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबन्ध के उल्लंघन में, स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा।

14. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–49 के अनुसार– <u>शास्ति से सम्बन्धित साधारण उपबन्ध</u>– ''जब इस अध्याय के अधीन शास्ति की मात्रा का न्याय निणर्यन करते समय, यथास्थिति, न्याय निर्णायक अधिकारी या अधिकरण, निम्नलिखित का सम्यक ध्यान रखेगा–

(क) उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुए अभिलाभ या अनुचित लाभ की रकम, जहां भी निर्धारणीय हो,

(ख) उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कारित हानि या ऐसी हानि जिसके होने की संभावना है, की रकम,

(ग) उल्लंघन की पुनरावृत्ति की प्रकृति,

(घ) चाहे उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया है, और

(ड़) कोई अन्य सुसंगत कारक।''

15. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–51 के अनुसार– <u>अवमानक खाद्य के लिए शास्ति</u>– ''कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का जो अवमानक है, मानव उपभोग के लिए, विक्रय के लिए विनिर्माण या भण्डारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो पांच लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।''

16. इस स्तर पर उल्लेखनीय है कि, अपीलार्थी/खाद्य कारोबारकर्ता ने प्रार्थनापत्र कागज संख्या–15ग इस आशय का प्रस्तुत किया है कि, उसे उक्त अपील के गुण–दोष पर कुछ नहीं कहना है, बल्कि वह उक्त अधिनियम की धारा–49 के प्रकाश में अपील का निस्तारण कराना चाहता है। उक्त आधारों पर धारा–49 के प्रकाश में कम से कम जुर्माने के साथ अपील निस्तारित किये जाने की याचना की गयी। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थनापत्र के अवलोकन से यही परिलक्षित होता है कि, वह प्रश्नगत आदेश को अपील में वर्णित आधारों पर चुनौती नहीं देना चाहता है, बल्कि वह केवल अधिरोपित शास्ति की धनराशि को कम किये जाने की हद तक ही अपील पर बल देना चाहता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को केवल विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शास्ति की वैधानिकता पर ही विचार करना है।

17. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 04.03.2017 को अपीलार्थी के प्रतिष्ठान से जांच हेतु लिये गये बेसन के नमूने को परीक्षण हेतु खाद्य विश्लेषण कार्यालय, उ0प्र0 वाराणसी प्रेषित किया था। पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक की जांच आख्या कागज संख्या–3/11 के अनुसार अपीलार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये बेसन के नमूने में दौरान जांच मटर के स्टार्च का मिश्रण पाये जाने पर उक्त नमूने को अधोमानक पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा–51 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

18. इस स्तर पर उल्लेखनीय है कि, उक्त अधिनियम की धारा–51

न्यूनतम दण्ड को प्रावधानित नहीं करती, बल्कि उक्त धारा में अधिकतम शास्ति की सीमा पांच लाख रूपये प्रावधानित की गयी है। अर्थात् विधि न्याय निर्णायक अधिकारी से उक्त धारा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों के उल्लंघन की गम्भीरता के कम अथवा अत्यधिक होने के मद्देनजर शास्ति निर्धारित किये जाने की अपेक्षा करती है। इसी कारण उक्त अधिनियम की धारा–49 न्याय निर्णायक अधिकारी से यह अपेक्षा करती है कि, वह शास्ति की मात्रा निर्धारित करते समय धारा–49 में वर्णित आधारों को ध्यान में रखे। अर्थात् धारा–51 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करते समय न्याय निर्णायक अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि, वह धारा–49 में वर्णित इस तथ्य पर भी विचार करे कि, उल्लंघन के परिणामस्वरूप खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री के विकय से कितना अभिलाभ या अनुचित लाभ प्राप्त किया गया, जहां भी वह लाभ निर्धारणीय है। इसके अतिरिक्त न्याय निर्णायक अधिकारी को शास्ति पारित करते समय इस तथ्य पर भी विचार करना चाहिए कि, खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा किये गये उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को हुई हानि या ऐसी हानि, जिसके होने की सम्भावना है, की धनराशि कितनी है। इसके अतिरिक्त न्याय निर्णायक अधिकारी को शास्ति निर्धारित करते समय इस तथ्य भी विचार करना चाहिए कि, खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा उल्लंघन की पुनरावृत्ति की प्रकृति क्या है और क्या खाद्य कारोबारकर्ता ने उल्लंघन जानबूझकर किया है अथवा नहीं। इस स्तर पर यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पत्रावली पर अपीलार्थी की आय–व्यय सम्बन्धी कोई विवरण, अर्थात बैलेंस शीट आदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रश्नगत निर्णय में विचारण न्यायालय ने इस तथ्य का कोई उल्लेख अंकित किया है कि, कथित बेसन के अधोमानक होने के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा कितना अभिलाभ या अनुचित अभिलाभ प्राप्त किया गया अथवा अभिलाभ निर्धारणीय है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत निर्णय में इस तथ्य का भी कोई उल्लेख अंकित नहीं है कि, अपीलार्थी द्वारा विकीत बेसन के कय किये जाने से किन–किन व्यक्तियों को कितने–कितने धन की हानि कारित हुई अथवा हानि कारित होने की सम्भावना थी। इसके अतिरिक्त

प्रश्नगत निर्णय में इस तथ्य का भी कोई उल्लेख अंकित नहीं है कि, अपीलार्थी ने प्रश्नगत उल्लंघन जानते–बूझते किया है अथवा नहीं। इस स्तर पर यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि, दौरान निरीक्षण अपीलार्थी के प्रतिष्ठान में कुल 25 किलोग्राम बेसन मानव उपभोग व विक्रय हेतु रखा पाया गया था, जिसमें से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 02 किलोग्राम बेसन मुबलिग 90/–रूपये प्रति किलो के हिसाब से, कुल मुबलिग 180/–रूपये देकर क्रय किया गया था, अर्थात् अपीलार्थी के प्रतिष्ठान पर अधोमानक सम्बन्धी जो भी बेसन मौजूद था, उसकी कुल कीमत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने के लिए अदा की गयी कीमत के अनुसार लगभग 2,250/–रूपये होती है, अर्थात् अपीलार्थी को अधोमानक बेसन से जो भी लाभ प्राप्त होना था, वह उपरोक्त अनुमानित कीमत के सापेक्ष में ही होना था, यदि अपीलार्थी को उपरोक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय से प्राप्त होने वाले लाभ को 200 प्रतिशत लाभ भी माना जाये, तब भी अपीलार्थी को प्राप्त होने वाला अधिकतम अनुमानित लाभ मुबलिग 6,750/–रूपये होता, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय में उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्य को भी नजरंदाज किया गया है। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय में उन आधारों का भी कोई उल्लेख नहीं किया है, जिन तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर प्रश्नगत शास्ति अधिरोपित की गयी है, विशेषकर उस स्थिति में, जब धारा–3(1)(zx) के अनुसार अवमानक सामग्री प्रयोग हेतु असुरक्षित नहीं होती है।

19. अतः प्रश्नगत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के मद्देनजर न्यायालय इस मत की है कि, विचारण न्यायालय ने अधिनियम की धारा–49 में वर्णित आधारों को नजरंदाज करते हुए बिना किसी उचित आधार के अपीलार्थी पर अधिनियम की धारा–51 के अन्तर्गत मुबलिग 1,00,000/–रूपये की शास्ति अधिरोपित करने में विधिक त्रुटि कारित की है, जिसको प्रश्नगत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के मद्देनजर संशोधित करते हुए कम किया जाना उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

(i) सिविल अपील नम्बरी–40/2020, महेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य

आदि आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा–51 के अन्तर्गत पारित मुबलिग 1,00,000/–रूपये की शास्ति के निर्णय को संशोधित करते हुए अपीलार्थी पर मुबलिग 70,000/–रूपये (सत्तर हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

(ii) अपीलार्थी द्वारा अपील के अंगीकरण के स्तर पर न्यायालय में जमा की गयी शास्ति की धनराशि, उपरोक्त धनराशि में समायोजित की जायेगी।

(iii) अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि, वह प्रश्नगत निर्णय की दिनांक से एक माह के अन्दर शास्ति की धनराशि न्यायालय में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय–सीमा में शास्ति की धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो उससे उपरोक्त शास्ति की धनराशि की वसूलयाबी भू–राजस्व की भांति की जाये।

(iv) इस निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जाये। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि, अपील की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार करें।

दिनांकः 09–07–2026

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/
जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
J.O.Code No. UP-1895

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 09–07–2026

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/
जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
J.O.Code No. UP-1895

स्टेनो– राजीव कुमार।